

सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत

SARDAR VALLABHBHAI NATIOINAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SURAT

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा NITSER अधिनियम के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

An Institute of National Importance, Established under NITSER Act by Ministry of Education, Govt. of India

दिनांक: 13.12.2024

क.इ/ 2500

सूचना/ NOTICE

विषय: शिक्षा मंत्रालय में स्वायत्त और अधीनस्थ संस्थान/ संगठनों के कर्मचारियों द्वारा अचलसंपत्ति रिटर्न जमाकरने हेत्/ Submission of Immovable property Return by the employees of autonomous and subordinate institute / organizations in the Ministry of Education.

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (पत्र संख्या C19011/7/2017-विग दिनांक 06.01.2021) के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी समूह 'A', 'B' और 'C' कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक संपत्ति रिटर्न सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जमा करें। भरा हुआ वार्षिक संपत्ति रिटर्न उप कुलसचिव (स्थापना) को 31 जनवरी 2025 को या उससे पहले जमा करना होगा। संकाय सदस्यों सिहत जो कर्मचारी नियत तारीख तक अपनी वार्षिक संपत्ति रिटर्न जमा करने में विफल रहते हैं, उन्हें उन पर लागू आचरण नियमों के तहत कार्रवाई के अलावा सतर्कता मंजूरी से वंचित कर दिया जाएगा।

इस संबंध में सभी संबंधितों को यह भी सूचित किया जाता है कि जब भी किसी अचल और चल संपत्ति का अनुमेय सीमा से अधिक लेनदेन किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी से आचरण नियमों के नियम 18(2) और 18(3) के तहत सूचना प्रस्तुत करें या पूर्व मंजूरी लें।

In compliance to the guidelines of the Ministry of Education, Govt. of India (letter No.C19011/7/2017-Vig dated 06.01.2021) all Group A, B and C employees of the Institute are requested to submit Annual Property Returns for the year ending **December**, 2024 on top priority basis. Filled up return must be submitted to Dy. Registrar (Establishment) on or before 31st January 2025 positively. Employees including, faculty members, who fail to submit their Property Return by the due date would be denied Vigilance clearance in addition to liable for action under Conduct Rules applicable to them.

It is also informed to all concerned to submit intimation or seek previous sanction under Rule 18(2) and 18(3) of Conduct Rules from the Competent Authority in prescribed form whenever any Immovable and Movable property is transacted beyond the permissible limit.

(डॉ. प्रमोद माथुर)/Dr. Pramod Mathur) कुलसचिव/ REGISTRAR

संलग्न:

संपत्ति रिटर्न प्रोफार्मा (अचल संपत्ति) / संपत्ति रिटर्न प्रोफार्मा (चल संपत्ति)/ अचल संपत्ति के संबंध में लेनदेन के लिए नियम 18(2) के तहत सूचना देने या पूर्व मंजूरी मांगने के लिए फॉर्म / चल संपत्ति के संबंध में लेनदेन के लिए नियम 18(2) के तहत सूचना देने या पूर्व मंजूरी मांगने के लिए फॉर्म

Property Return Proforma (Immovable property)/ Property Return Proforma (Movable property)/ Form for giving intimation or seeking previous sanction under Rule 18(2) for transaction in respect of Immovable Property/ Form for giving intimation or seeking previous sanction under Rule 18(2) for transaction in respect of Movable Property

प्रति: सभी कर्मचारी ईमेल के माध्यम से -/ All employees – thorough email

प्रतिप्रेषित:

- 1. निदेशकअनुभाग प्रमुख/विभाग/सभी डीन /सीवीओ/कुलसचिव// Director/ Registrar/ CVO/All Deans/ Head of the Deptt./ Section
- 2. उप .रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार/(स्थापना)/ Dy. Registrar (Estt.) Assistant Registrar
- 3. संकाय प्रभारी, कंप्यूटर सेंटर/ Faculty In-Charge, Computer Centre
 - उपरोक्त सूचना को होम पेज पर लिंक प्रकाशित करें "वार्षिक संपत्ति रिटर्न" साथ-के साथ "घोषणाएँ"/ to publish the above notice the link "Announcements" as well as "Annual Property Return" on the Home Page.
- 4. वार्षिक संपत्ति रिटर्न फाइल/ Annual Property Return File
- 5. प्रेषण अनुभाग/ Dispatch Section